



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 108 राँची, मंगलवार, 26 फाल्गुन, 1947 (श०)
17 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

17 मार्च, 2026

संख्या-10/ विविध-01-09/2025 का.-1669/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010, “झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010 तथा ‘झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 के प्रावधानों के तहत लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) के 15 प्रतिशत पदों, जिन्हें समूह ‘घ’ के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना है, के ऑनलाइन परीक्षा संचालन हेतु झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली “झारखण्ड राज्य समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ (निम्नवर्गीय लिपिक/कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026” कही जाएगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह नियमावली प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ

- (i) राज्य - “राज्य” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य;
- (ii) विभाग से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
- (iii) संबंधित विभाग से अभिप्रेत है अध्याचना भेजने एवं नियुक्त करने वाले विभाग/प्राधिकार
- (iv) समूह ‘घ’ से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय, विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय तथा समाहरणालयों में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारी
- (v) समूह ‘ग’ के पदों से अभिप्रेत है सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मुख्यालय स्तर, विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा समाहरणालयों के निम्नवर्गीय लिपिक/कनीय सचिवालय सहायक के पद।
- (vi) आयोग - “आयोग” से अभिप्रेत है, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;
- (vii) वे सभी अन्य शब्द, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किन्तु “झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 तथा “झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010 एवं झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 में परिभाषित, हैं के क्रमशः वही अर्थ रहेंगे, जो उन नियमावलियों में हैं।

3. रिक्तियों का विनिश्चय :-

- (I) “झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 एवं झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010 तथा ‘झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016, से आच्छादित संवर्ग के मूल कोटि पद के 15 प्रतिशत पदों को समूह ‘घ’ के योग्य कर्मियों की ऑनलाइन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना है।
- (II) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय अन्तर्गत पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए परिगणित रिक्तियों का नियमानुसार रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अध्याचना संबंधित विभागों के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी।
- (III) विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए परिगणित रिक्तियों का नियमानुसार रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की सूचना अपने संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

तदोपरांत संबंधित विभाग के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिक्ति संबंधी सूचना को समेकित करते हुए कोटिवार अध्याचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी जाएगी।

(IV) विभिन्न समाहरणालयों द्वारा भी पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए परिगणित रिक्तियों का नियमानुसार रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की सूचना राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विभिन्न समाहरणालयों से प्राप्त रिक्ति संबंधी सूचना को समेकित करते हुए आरक्षण कोटिवार अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी जाएगी।

4. **पात्रता :-** इस परीक्षा नियमावली के प्रावधानों के तहत विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय/समाहरणालय में समूह 'घ' के पद पर पदस्थापित कर्मी उसी विभाग/समाहरणालय में समूह 'ग' के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में समूह 'घ' के पद पर पदस्थापित कर्मी ही कनीय सचिवालय सहायक के पद पर आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे।

ऑनलाइन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय, विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों/समाहरणालयों में कार्यरत समूह 'घ' के कर्मियों के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-

- (I) आवेदन की तिथि को सेवा संपुष्ट हो।
- (II) आवेदन की तिथि को धारित पद पर लगातार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो।
- (III) आवेदन की तिथि को कर्मी पर कोई विभागीय/फौजदारी कार्रवाई लंबित न हो और न ही आवेदन की तिथि को आवेदक निलंबित हो अथवा उसपर कोई दण्ड प्रभावी न हो।
- (IV) कनीय सचिवालय सहायक के पद के लिए आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण।
- (V) क्षेत्रीय कार्यालयों/समाहरणालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद के लिए आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इण्टरमीडिएट काउंसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण।

5. **पात्रता के बारे में विनिश्चय :-** ऑनलाइन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश-पत्र आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।

6. **शुल्क :-** परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

7. **परीक्षा का आयोजन :-**

- (I) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत इस नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ऑनलाइन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(II) यह परीक्षा पूर्णतः ऑनलाइन (Computer Based Test) होगी।

(III) ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र में आयोजित की जायेगी।

(IV) इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

8. परीक्षा का स्वरूप :- परीक्षा दो चरण में ली जाएगी :-

(I) प्रथम चरण हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

क्र०	परीक्षा का विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
1	सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक घटना (मैट्रिक स्तरीय)	25	75	02:30 घंटा
2	झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	15	45	
3	हिन्दी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, शब्द ज्ञान, व्याक्य रचना, व्याकरण	20	60	
4	कार्यालय के संचालन संबंधी जानकारी	20	60	
5	कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान, MS Office एवं Internet (मैट्रिक स्तरीय)	20	60	
कुल		100	300	

नोट:- एक प्रश्न का पूर्ण अंक 03 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01(एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(II) अर्हतांक :- परीक्षा के प्रथम चरण के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् होंगे :-

अनारक्षित	40 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
आदिम जनजाति समूह	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

- (III) **द्वितीय चरण :-** प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग के द्वारा हिन्दी टंकण परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जो Qualifying प्रकृति का होगा। कौशल जाँच की परीक्षा 10 मिनट/200 शब्द अधिकतम 5 प्रतिशत अशुद्धि के साथ होगा।

9. मेधासूची एवं परिणाम-

- (I) आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा में सफल उन्ही अभ्यर्थियों की मेधा सूची (Merit List) तैयार की जायेगी जिन्होंने हिन्दी टंकण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की हो। मेधा सूची प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (II) मेधा सूची तैयार करने के पश्चात् आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की प्रारम्भिक जाँच करायी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग के द्वारा संबंधित प्राधिकार की अध्याचना के अनुरूप उन्हें आरक्षण कोटिवार मेधा क्रमानुसार अंतिम अनुशंसा उपलब्ध करायी जायेगी।
- (III) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा, अर्थात् अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

- (IV) परीक्षा के परिणाम का संसूचन आयोग के द्वारा किया जायेगा ।

10. **नियुक्ति:-** आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में संबंधित सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाई करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात् योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।

समूह 'घ' से समूह 'ग' के पद पर प्रोन्नत कर्मियों की सेवा शर्तें संबंधित कर्मियों के लिए पूर्व से विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

- 11 **निर्वचन :-** इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निदिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा।

12. **प्रकीर्ण :-**

- (1) अन्य ऐसे मामले, जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 अथवा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।

- (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

13. निरसन और व्यावृत्ति :-

- (1) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-10536, दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि) नियमावली, 2017 एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि) नियमावली, 2017 के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

(प्रवीण कुमार टोप्पो)

सरकार के सचिव ।
